

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या -12/2011/जयपुर

मैसर्स रामा एयरकॉन इन्जीनियर्स,
अहिंसा सर्किल, अशोक मार्ग सी-स्कीम जयपुर

.....अपीलार्थी

बनाम्

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत्त-प्रथम, जयपुर

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित ::

श्री विनोद कुमार, अभिभाषक
श्री एन.के.बैद, उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से
.....प्रत्यर्थी की ओर से

दिनांक : 02.04.2018

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी (जिसे आगे "अपीलार्थी" कहा जायेगा) द्वारा उपायुक्त (अपील्स) पंचम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 1599/अपी-II / 1999-2000/जेपी.बी. में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 20.01.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन राजस्थान, वृत्त-प्रथम, जयपुर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1954 की धारा 10सी सपठित राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 38 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 11.10.1999 के जरिये अभिनिर्धारित मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी द्वारा यथावत रखे जाने को विवादित किया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी का वर्ष 94-95 का धारा 10(सी) के तहत पुनः कर निर्धारण दिनांक 11.10.1999 को किया गया। सशक्त अधिकारी ने अपीलार्थी द्वारा एयर कन्डीशनर के स्पेयर पार्ट्स रूपये 54,118/- मैसर्स एमट्रेक्स एप्लाइंस लि0, अहमदाबाद से की गई तथाकथित खरीद का जमा खर्च लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाने के आधार पर करापवंचन किया जाना मानते हुए 15 प्रतिशत की दर से कर रूपये 8,118/- व ब्याज रूपये 9,742/- एवं धारा 16(i)(e)/65 के तहत शास्ति रूपये 16,236/- का आरोपण किया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिसे अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 20.01.2010 द्वारा अस्वीकार करते हुए आरोपित मांग राशियों की पुष्टि की गई है, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

31

निरन्तर.....2

3. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि विवादित माल व्यवहारी को प्राप्त ही नहीं हुआ था बल्कि मैसर्स एमट्रेक्स एप्लांइस लि० द्वारा त्रुटिवश केवल बिल अपीलार्थी को भेज दिया गया, जिसकी जानकारी मिलने पर विक्रेता द्वारा उक्त बिल की प्रविष्टि Reverse करते हुए इसकी विपरीत प्रविष्टि (Contra entry) दिनांक 31.03.1995 को कर दी गयी थी। सशक्त अधिकारी के समक्ष मैसर्स एमट्रेक्स एप्लांइस लि० के स्टेटमेंट की प्रतियां भी प्रस्तुत कर दी गयी थी, किन्तु सशक्त अधिकारी द्वारा समस्त तथ्य को नजरअंदाज करते हुए एवं उक्त खरीद को उचन्ति मानते हुए उस पर कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण किया गया, जो कि अविधिक होने के कारण अपास्तनीय है। उनका यह भी कथन है कि उक्त समस्त तथ्यों के दस्तावेज उनके द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष भी प्रस्तुत कर दिये गये थे, जिन पर अपीलीय अधिकारी ने भी गौर नहीं किया है। अतः उन्होंने अपीलीय अधिकारी एवं सशक्त अधिकारी के आदेशों को अपास्त करते हुए प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।
4. विभाग की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने सशक्त अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि सर्वेक्षण के समय अपीलार्थी के व्यवसाय स्थल पर उपलब्ध लेखा पुस्तकों में उक्त माल की प्रविष्टि पायी गई, जिसे व्यवहारी द्वारा भूलवश प्रविष्टि हो जाना बतलाया। उक्त बिल का जमा खर्च करने के पश्चात इसकी बिक्री नहीं की जाकर यह माल वास्तव में उसे प्राप्त नहीं होने का कारण बताते हुए इस पर करापवंचना की मंशा को प्रकट करता है। अतः उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेश को उचित बतलाते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।
5. उभय पक्ष की बहस पर गौर किया गया एवं उपलब्ध विभागीय रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
6. रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण एयर कन्डीशनर्स के स्पेयर पार्ट्स के एक ऐसे बिल से संबंधित है, जिसकी खरीद की प्रविष्टि अपीलार्थी द्वारा एक बार तो अपनी लेखा पुस्तकों में की गई है परन्तु उसके यह परिज्ञान में आने पर कि उक्त बिल का माल उसे वास्तव में प्राप्त ही नहीं हुआ है, इसकी डेबिट प्रविष्टि विक्रेता मैसर्स एमट्रेक्स एप्लांइस लि० के नामे दिनांक 31.01.1995 को कर दी गई थी। इसके अलावा विक्रेता व्यवहारी के यह परिज्ञान में आने पर उसने भी इसकी Contra entry अपनी लेखा पुस्तकों में दिनांक 31.03.1995 को कर दी थी। अपीलार्थी द्वारा संबंधित रिकॉर्ड सशक्त अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था इसके उपरान्त भी इस



निरन्तर.....3

तथाकथित संव्यवहार के संबंध में कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण किया गया है, परन्तु सक्षम अधिकारी ने प्रस्तुत अभिलेख को अमान्य करने का कोई स्पष्ट कारण अपने आदेश में नहीं लिखा तथा न ही यह अन्यथा साबित किया है कि विवादित बिल का माल वास्तव में अपीलार्थी को प्राप्त हुआ भी था। इस संबंध में कर निर्धारण आदेश दिनांक 11.10.1999 का संबंधित अंश उल्लेखनीय है जहां सक्षम अधिकारी एक ओर इस संव्यवहार की प्रविष्टि लेखा पुस्तकों में होना बता रहा है, वहीं दूसरी ओर इसे लेखा पुस्तकों में अप्रविष्ट मानते हुये इस पर कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण किया गया है। कर निर्धारण आदेश के संदर्भित अंश निम्नानुसार है :-

“व्यवहारी द्वारा स्पेयर पाटर्स रुपये 54,118=00 की खरीद मैसर्स एमट्रेक्स एप्लांइस लिमिटेड से कभी भी नहीं किया जाना जाहिर किया। व्यवहारी के नियमित हिसाबी पुस्तकों में M/s एमट्रेक्स एप्लांइस की भूलवश प्रविष्टि हो जाने पर उसे दिनांक 31.03.1995 में कम्पनी द्वारा ही Reverted कर दी गई थी। व्यवहारी द्वारा अपने जवाब के साथ M/s एमट्रेक्स एप्लांइस के Statement की प्रति जो व्यवहारी को माल सप्लाई किया गया है, सबूत में पेश की है।

उक्त बिन्दु के बाबत व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत रेकार्ड से जांच किये जाने पर M/s एमट्रेक्स एप्लायन्सेज, अहमदाबाद से रुपये 54118=00 की ए.सी.स्पेयर पाटर्स की खरीद का जमा खर्च होना सत्यापित नहीं होता है। व्यवहारी का यह बिन्दु भी स्वीकार योग्य नहीं है। अतः उक्त माल की खरीद व्यवहारी द्वारा की जाकर लेखापुस्तकों में इस खरीद को छुपाकर करापवंचन की नियत से ऐसा किया गया है। अतः Rs 54118=00 पर 15 प्रतिशत की दर से कर रुपये 8118=00 आरोपित किया जाता है। यह कर राशि अभी तक जमा नहीं होने पर 60 माह का ब्याज रुपये 9742=00 आरोपित किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा उक्त खरीद की जानबूझकर अपनी नियमित हिसाबी पुस्तकों से छुपाने के आरोप में धारा 16(1)(i)/(e)/65 of the RST Act के तहत शास्ति Rs 16236/- आरोपित की जाती है।”

उक्त आदेश से प्रकट होता है कि अधिकारी स्वयं भी उक्त लेखा प्रविष्टि की प्रकृति को लेकर भ्रमित है क्योंकि एक ओर जहां संदर्भित माल लेखा पुस्तकों में दर्ज होना बताया गया है वहीं दूसरी ओर इस खरीद को लेखा पुस्तकों से छुपाया गया भी निर्णीत करते हुए इस पर कर, ब्याज एवं शास्ति आरोपण किया गया है।

7. इस प्रकार सशक्त अधिकारी द्वारा प्रकरण के समग्र तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए जो करारोपण किया है वह न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। व्यवहारी द्वारा समस्त संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां अपीलार्थी अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई थी एवं उनके द्वारा उक्त बिल की प्रविष्टि भूलवश लेखा पुस्तकों में इन्द्राज किया जाना भी जाहिर किया गया, तथा यह तथ्य परिज्ञान में आने पर इसे वापस Reverse भी कर दिया है तथा विक्रेता कम्पनी द्वारा भी अपनी लेखा पुस्तकों में इसे Contra entry करते हुये Reverse कर दिया है। अतः प्रस्तुत प्रकरण में माल का वास्तव में राज्य में आना प्रमाणित नहीं होने तथा विक्रेता कम्पनी द्वारा केवल बिल

31

प्रेषित कर दिये जाने परन्तु माल नहीं भेजने के कारण इस संव्यवहार को रिवर्स कर दिये जाने के कारण व्यवहारी पर कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण किया जाना अनुचित प्रतीत होता है। व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर एवं दस्तावेजों पर सशक्त अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी ने गौर नहीं करते हुए अपने आदेश पारित किये हैं जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होते हैं।

7. परिणामस्वरूप सशक्त अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों को अपास्त करते हुए व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है।
8. निर्णय सुनाया गया।



(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य